प्रेस नोट दिनांक 25.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 23.03.2026

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

अवैध संबंध, सुनियोजित साजिश के चलते हत्या के अभियोग से संबंधित 25000/- रूपये इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अवैध संबंध के चलते हुई हत्या के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अभियोग से संबंधित इनामिया अभियुक्त अतुल कुमार को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत पुरवैष्णव तिराहे के पास से विधिवत गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पर आवेदक निवासी ग्राम मिसिरपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना मान्धाता पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पिता दिनांक 18.03.2026 को मोटरसाइकिल से प्रयागराज जाने हेतु घर से निकले थे, परन्तु वापस नहीं लौटे। इस संबंध में दिनांक 20.03.2026 को थाना स्थानीय गुमशुदगी दर्ज की गई थी। तत्पश्चात खोजबीन एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपिता सुमन देवी द्वारा अतुल कुमार व अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर वादी के पिता को अपने मायके ग्राम बगियापुर थाना जेठवारा बुलाकर एकराय होकर हत्या कर दी गई तथा शव को बोरे में भरकर सहायक शारदा नहर में फेंक दिया गया। दिनांक 22.03.2026 को उक्त शव बरामद होने पर परिजनों द्वारा शिनाख्त की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 103(1)/3(5)/238(क) बीएनएस बनाम 1. सुमन देवी पत्नी अनिल कुमार निवासी मिसिरपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता, 2. अतुल गौतम पुत्र राजाराम गौतम, 3. अरुण गौतम पुत्र रामआसरे निवासीगण ग्राम बगियापुर लेहरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभात वर्मा, का0 आनन्द यादव, का0 अंकित कुमार, हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 103(1)/3(5)/238(क) बीएनएस से संबंधित 25000/- रूपये इनामिया 01 अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम लेहरा बगियापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत पुरवैष्णव तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मै मुम्बई मे रहता हूँ। कुछ दिन पहले घर आया था 17 मार्च को मेरी बहन सुमन देवी घर आयी थी और मृतक के कृत्यो के बारे मे बतायी, जिसके बाद मैने अपनी बहन के साथ मृतक को अगले दिन दिनांक 18.03.26 को अपने घर लेहरा बगियापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ बुलाया। मृतक रात मे मेरे घर पर गया था। उस समय मै सडक पर खडा होकर मोबाईल चला रहा था। बहन सुमन के बुलाने पर मै घर पर गया तो देखा कि मृतक सो रहा था । मेरी बहन घर में पड़ी लोहे की पाईप से मृतक के सिर पर मारा तो वह चिल्लाया लेकिन तुरन्त ही उसके गले पर वार किया तो वह चुप हो गया । फिर उसी पाईप से गले पर मार-मार कर मार डाला। फिर मै अपने दोस्त अरूण और अपनी बहन सुमन के साथ मिलकर मृतक के शव को रस्सी से बाध कर पीली बोरी मे भरकर व उसके जुते को उसकी गाडी के डिग्गी में रख कर मृतक की ही गाडी पर लादकर ले जाने लगे परन्तु मृतक के गाडी मे हेड लाईट नही जल रही थी। जिसके बाद अपने घर की बाईक पर अपने बहन सुमन व अपने दोस्त अरूण की मदद से लाद कर खुद गाडी चलाते हुए अपने बहन सुमन को बैठाकर ले गया था । अरूण मृतक की बाईक लेकर पीछे पीछे चल रहा था कि हम लोग उमरिया बादल गेदा के शारदा सहायक नहर पुलिया पर रखकर शव को पानी मे फेक दिया और उसका मोबाईल व हेल्मेट भी उसी नहर के पानी मे फेक दिया। किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी को न हो सके वापसी मे मृतक की बाईक छोडने जाते समय देखा कि मृतक के जूते उसी की मोटरसाईकिल की डिग्गी मे ही रह गया था जिसे मैने रास्ते मे सुखी नहर में फेक दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

01.अतुल कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम लेहरा बगियापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभात वर्मा, का0 आनन्द यादव, का0 अंकित कुमार, हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 25.03.2026

थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कंधई के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह उ0नि0 सुभाषचन्द्र, मुख्य आरक्षी राजकुमार कुशवाहा द्वारा मु0नं0 492/2008 धारा 147/148/149/307/452/323/504/506/324 भादवि थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार पाठक पुत्र जगतनारायण पाठक निवासी ग्राम नरसिंहपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 49 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

थाना कंधई के उ0नि0 सुभाषचन्द, मुख्य आरक्षी राजकुमार कुशवाहा, का0 प्रवीण कुमार यादव द्वारा परिवाद सं01211/19 धारा 138 एनआई एक्ट थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र हरिप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम तरदहा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को अमृत स्वीट हाउस बहेलियापुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. अभियुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार पाठक पुत्र जगतनारायण पाठक निवासी ग्राम नरसिंहपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 49 वर्ष ।
02. अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र हरिप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम तरदहा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष

प्रेस नोट दिनांक 25.03.2026
थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त/अभियुक्ता को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत पांचों तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण –
आरोपी ससुरालीजन द्वारा वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करना तथा दिनांक 23.03.2026 को आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादी की पुत्री को जान से मार दिया गया। जिसमे वादी की तहरीर के आधार पर पर थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 56/26 धारा 80/85/351 (3)बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में था ना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 हरीन्द नारायण राय मय हमराह उ0नि0 सचिन कुमार, हे का0 पवन नायक,का0 लालबहादुर व म0का0 आरती मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 56/26 धारा 80/85/351 (3)बबीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ से संबंधित 03 अभियुक्त/अभियुक्ता, 01. बृजेश वर्मा पुत्र उर्फ राहुल पुत्र गोवर्धन वर्मा, 02. गोवर्धन वर्मा पुत्र स्व0 नीमर वर्मा, 03. श्रीमती देवी पत्नी गोवर्धन वर्मा समस्त निवासीगण ग्राम पूरे दलपत शाह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत पांचों तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01. बृजेश वर्मा पुत्र उर्फ राहुल पुत्र गोवर्धन वर्मा निवासी ग्राम पूरे दलपत शाह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

02. गोवर्धन वर्मा पुत्र स्व0 नीमर वर्मा निवासी ग्राम पूरे दलपत शाह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

03. श्रीमती देवी पत्नी गोवर्धन वर्मा निवासी ग्राम पूरे दलपत शाह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 हरीन्द नारायण राय मय हमराह उ0नि0 सचिन कुमार, हे का0 पवन नायक,का0 लालबहादुर व म0का0 आरती मौर्या थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 25.03.2026
थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना पट्टी के उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह का0 पंकज यादव द्वारा मु0अ0सं0 45/03 धारा 498 ए/306/201 भादवि से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र रामखिलावन निवासी अशोकपुर पूरे सुखचैन थाना पट्टी प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अरविन्द कुमार पुत्र रामखिलाविन निवासी अशोकपुर पूरे सुखचैन थाना पट्टी प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह का0 पंकज यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 25.03.2026
थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना जेठवारा के उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 588/18 धारा 147/148/149/323/504/506/307/34 भादवि थाना जेठवारा प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 02 वारंटी अभियुक्तों, 01. दिलशाद अली पुत्र आबाद अली उम्र करीब 20 वर्ष, 02. गोलू उर्फ मो0 रफीक पुत्र मोहर अली उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम पूरे मोतीलाल थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. दिलशाद अली पुत्र आबाद अली उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम पूरे मोतीलाल थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।
02. गोलू उर्फ मो0 रफीक पुत्र मोहर अली उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम पूरे मोतीलाल थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।